भारत में राज्यों का पुनर्गठन

//

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

1950

राज्यों को **4 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया - **भाग A, B, C और D** (प्रथम अनुसूची)

- **भाग A- निर्वाचित राज्य विधानमंडल**, जो **राज्यपाल** द्वारा शासित होंगे
  - **आंध्रप्रदेश** (भाषायी आधार पर गठित पहला राज्य)- **1953**
- **भाग B-** पूर्व **रियासतें**
- **भाग C-** पूर्व **मुख्य आयुक्तों** के प्रांत, कुछ **रियासतें**
- **भाग D-** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

7वाँ संविधान संशोधन (1956)

- भाग-A और भाग-B के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया
- भाग-C के राज्यों को समाप्त कर दिया गया
- (पूर्ववर्ती) राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 है

वर्ष 1956 के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन/निर्माण

अन्य राज्यों से अलग हुए राज्य

- बॉम्बे से **गुजरात** और **महाराष्ट्र** (बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960)
- असम से **नगालैंड** (नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962)
- पंजाब से **हरियाणा** (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966)
- असम से **मेघालय** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- मध्यप्रदेश से **छत्तीसगढ़** (मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- उत्तर प्रदेश से **उत्तराखंड** (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- बिहार से **झारखण्ड** (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- आंध्र प्रदेश से **तेलंगाना** (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)

राज्य का दर्जा देने के पश्चात् गठित राज्य

- **हिमाचल प्रदेश** (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970)
- **मणिपुर** और **त्रिपुरा** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- **सिक्किम** (36वाँ संविधान संशोधन (1975))
- **मिज़ोरम** (मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986)
- **अरुणाचल प्रदेश** (अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986)
- **गोवा** (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987)

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप - 1956
- पुदुचेरी - 1962
- चंडीगढ़ - 1966
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - 2019
- दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव - 2020

Drishti IAS

और पढ़ें: राज्य के दर्जे की मांग, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reorganisation-of-states-in-india-1